

समाहरणालय, पूर्णियाँ

(जिला निर्वाचन शाखा)

पत्रांक

/जि० नि०

प्रेषक,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
-सह- जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना

पूर्णियाँ दिनांक

विषय :- निविदा सूचना का प्रकाशन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पूर्णियाँ जिले के सभी सात विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के ईपिक निर्माण एवं फोटो निर्वाचक सूची की तैयारी हेतु निविदा सूचना की चार हार्ड कॉपी एवं एक सॉफ्ट कॉपी समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ भेजी जा रही है ।

अतः अनुरोध है कि इसका प्रकाशन हिन्दी एवं अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्रों के अगले अंक में करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक - यथोक्त ।

ED —

जिला निर्वाचन पदाधिकारी,

-सह-

जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ

ज्ञापक ... 215/जि० नि० दिनांक 14.4.2013..

प्रतिलिपि :- सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- जिला स्तरीय क्रय समिति के सदस्य यथा उप विकास आयुक्त, पूर्णियाँ/ सहायक वाणिज्य कर आयुक्त, पूर्णियाँ/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र पूर्णियाँ/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पूर्णियाँ/जिला लेखा पदाधिकारी, पूर्णियाँ को दिनांक-27.04.13 को 3.00 बजे अपराह्न जिला क्रय समिति की बैठक में भाग लेने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पूर्णियाँ को निविदा सूचना, तकनीकी एवं वित्तीय निविदा की प्रति के साथ जिला के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को निविदा की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

12/4/13

जिला निर्वाचन पदाधिकारी,

-सह-

जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ

पूर्णियाँ जिले के वेबसाईट पर उपलब्ध तकनीकी एवं वित्तीय निविदा का प्रपत्र

तकनीकी निविदा का प्रपत्र

इच्छुक फर्म को निम्नांकित प्रपत्र में तकनीकी निविदा तैयारकर सीलबंद लिफाफे में निर्धारित समय पर प्रस्तुत करना होगा :-

क्र.	तकनीकी निविदा की शर्तें	संलग्न कागजात का विवरण
1	वणिज्यकर, वैट निबंधन का प्रमाण-पत्र संलग्न करें ।	हाँ/नहीं
2	आयकर निबंधित होने का प्रमाण-पत्र संलग्न करें ।	हाँ/नहीं
3	वार्षिक टर्नओवर से संबंधित साक्ष्य संलग्न करें ।	हाँ/नहीं
4	निविदा के साथ मो0 25000.00 (पच्चीस हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के नाम से संलग्न करें ।	हाँ/नहीं
5	निर्वाचक सूची की तैयारी एवं मुद्रण तथा ईपिक निर्माण का पूर्वानुभव हो तो प्रमाण-पत्र संलग्न करें ।	हाँ/नहीं
6	निम्नांकित आधारभूत संरचना का विवरण संलग्न करें :-	
i	<ul style="list-style-type: none"> ● स्थापित किये जाने वाले कुल कम्प्यूटर की संख्या : - ● स्थापित किये जाने वाले कम्प्यूटर का प्रोसेसर : - ● स्थापित किये जाने वाले कम्प्यूटर का RAM : - ● स्थापित किये जाने वाले कम्प्यूटर का HD Capacity : - 	
ii	<ul style="list-style-type: none"> ● स्थापित किये जाने वाले Online UPS की संख्या : - ● स्थापित किये जाने वाले Online UPS का क्षमता (KVA में) : - ● स्थापित किये जाने वाले Online UPS का बेकअप (घंटे में) : - 	
iii	<ul style="list-style-type: none"> ● निर्वाचक सूची के मुद्रण हेतु स्थापित किये जाने वाले कुल लेजर प्रिंटर का संख्या : - ● स्थापित किये जाने वाले लेजर प्रिंटर का मॉडल : - ● स्थापित किये जाने वाले लेजर प्रिंटर का सीरिज : - 	
iv	<ul style="list-style-type: none"> ● ईपिक निर्माण हेतु स्थापित किये जाने वाले कुल रंगीन प्रिंटर का संख्या : - ● स्थापित किये जाने वाले रंगीन प्रिंटर का मॉडल : - ● स्थापित किये जाने वाले रंगीन प्रिंटर का सीरिज : - 	
v	<ul style="list-style-type: none"> ● स्थापित किये जाने वाले कुल स्कैनर का संख्या : - ● स्थापित किये जाने वाले स्कैनर का मॉडल (ADF होना अनिवार्य) : - ● स्थापित किये जाने वाले स्कैनर का सीरिज : - ● स्थापित किये जाने वाले स्कैनर का पेपर साईज : - 	
vi	<ul style="list-style-type: none"> ● स्थापित किये जाने वाले लेमिनेशन मशीन का संख्या : - ● स्थापित किये जाने वाले लेमिनेशन मशीन का मॉडल : - 	
vii	<ul style="list-style-type: none"> ● स्थापित किये जाने वाले इन्टरनेट कनेक्टिविटी की सेवा प्रदाता का नाम (कम-से-कम दो सेवा प्रदाता का होना अनिवार्य है।) 	
viii	<ul style="list-style-type: none"> ● विधानसभावार प्रयुक्त होने वाले कम्प्यूटर ऑपरेटरों की संख्या : - 	
ix	<ul style="list-style-type: none"> ● Licensed Operating System and Antivirus Software उपलब्ध होने संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करें। (Win Pro 7, MS Office 2007, Adobe R/W) 	हाँ/नहीं
8	निम्नांकित बिन्दुओं पर समेकित रूप से Under Taking संलग्न करें :-	
i	आवंटित कार्य का Sub Contracting नहीं करने का ।	हाँ/नहीं
ii	निर्धारित अवधि में कार्य सम्पादित करने का ।	हाँ/नहीं
iii	जिला मुख्यालय में रहकर कार्य करने का ।	हाँ/नहीं
iv	मुद्रण संबंधी कार्य Original Toner से करने का ।	हाँ/नहीं
v	निर्वाचक सूची की तैयारी एवं ईपिक के निर्माण में निर्वाचन विभाग, पटना द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप कार्य करने का ।	हाँ/नहीं
vi	संबंधित फर्म काली सूची में दर्ज नहीं है ।	हाँ/नहीं

निविदादाता का हस्ताक्षर

वित्तीय निविदा का प्रपत्र

1	ई.आर.एम.एस. के तहत PVC सीट पर रंगीन मतदाता फोटो पहचान पत्र का निर्माण का दर (संभावित संख्या-100000) रूपया/पैसे प्रति EPIC ON LINE
2	ई.आर.एम.एस. के तहत प्ररुप 06,6क,8क की अपलोडिंग एवं निष्पादन का दर (प्रति प्ररुप) (संभावित संख्या-100000) रूपया/पैसे प्रति प्ररुप (ऑनलाईन/ऑफलाईन)
	ई.आर.एम.एस. के तहत प्ररुप 07 की अपलोडिंग एवं निष्पादन का दर(प्रति प्ररुप) (संभावित संख्या-15000) रूपया/पैसे प्रति प्ररुप (ऑनलाईन/ऑफलाईन)
	ई.आर.एम.एस. के तहत प्ररुप 08 की अपलोडिंग एवं निष्पादन का दर(प्रति प्ररुप) (संभावित संख्या-30000) रूपया/पैसे प्रति प्ररुप (ऑनलाईन/ऑफलाईन)
3	लेजर प्रिंटर से A4 सेंचुरी पेपर में मुद्रण का दर (संभावित संख्या एक तरफ 100000, दोनो तरफ-500000) Original Tonner से रूपया/पैसे प्रति पृष्ठ एक तरफ। रूपया/पैसे प्रति पृष्ठ दोनो तरफ।
4	नजरी नक्शा का स्कैनिंग का दर (संभावित संख्या-1514) रूपया/पैसे प्रति पृष्ठ एक तरफ।
5	छिद्रण एवं बाईडिंग का दर, प्लास्टिक कवर सहित (संभावित संख्या-1514) रूपया/पैसे प्रति/सैकडा पुस्तिका केन्द्र।
6	कन्ट्रोल टेबुल के शुद्धिकरण का दर, प्रति बुथ (संभावित संख्या-1514) रूपया/पैसे प्रति फिल्ड।
7	पी0डी0एफ0 सी0डी0 (छाया चित्र रहित) एवं पी0डी0एफ0 सी0डी0 (छाया चित्र सहित) के निर्माण का दर रूपया/पैसे प्रति विधानसभा। रूपया/पैसे प्रति विधानसभा।

नोट :- वित्तीय निविदा :- तकनीकी निविदा में दिये गये शर्तों का पालन करने वाले फर्म का ही वित्तीय निविदा (जो सीलबंद होनी चाहिए) जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जाएगा। अंकित दर सभी प्रकार के प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए सभी तरह के लागत (Cost) एवं कर (Tax) सहित अंकों एवं शब्दों में होना चाहिए।

निविदादाता का हस्ताक्षर

समाहरणालय, पूर्णियाँ

(जिला निर्वाचन शाखा)

निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए पूर्णियाँ जिलान्तर्गत सभी सात विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का इलेक्टोरल रॉल मनेजमेंट सिस्टम (ERMS) के तहत प्ररूप 06, 6क, 07, 08 एवं 8क के डिजिटাইजेशन, फोटोयुक्त निर्वाचक सूची की तैयारी एवं मुद्रण तथा भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त अद्यतन निदेशानुसार निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र का निर्माण करने हेतु योग्य एवं अनुभवी फर्म से द्वि-लिफाफा प्रणाली के तहत निविदा आमंत्रित की जाती है। अनुभवी फर्म जो निविदा के सारे शर्तों को पूरा करते हो, सीलबंद लिफाफे में एक तकनीकी निविदा तथा दूसरा वित्तीय निविदा उप निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्णियाँ के कार्यालय में दिनांक-27.04.2013 को 2.00 बजे अपराह्न तक दे सकते हैं। तकनीकी निविदा के सफल होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी। प्राप्त सभी निविदायें दिनांक-27.04.2013 को 3.00 बजे अपराह्न जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी। स्वयं निविदादाता या उनके प्रतिनिधि क्रय समिति की बैठक में उपस्थित रह सकते हैं। निविदा के संबंध में विशेष जानकारी जिला निर्वाचन शाखा, पूर्णियाँ से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। तकनीकी एवं वित्तीय निविदा का प्रपत्र पूर्णियाँ जिला के वेबसाईट <http://purnea.bih.nic.in> पर उपलब्ध है जिसे डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है।

तकनीकी निविदा की आवश्यक शर्तें

1. फर्म को बिहार वाणिज्य कर (VAT) एवं आयकर में (PAN No) निबंधित होने का प्रमाण पत्र देना होगा।
2. इच्छुक निविदादाता को प्रत्येक विधानसभा के लिए निम्नलिखित आधारभूत संरचना को स्थापित करना अनिवार्य होगा—
 - (i) प्रत्येक विधानसभा के लिए कम-से-कम 3 Branded कम्प्यूटर सेट स्थापित करना अनिवार्य होगा। स्थापित किये जाने वाले कम्प्यूटर का प्रोसेसर इन्टेल CORE-2-DUO अथवा उच्च श्रेणी का होना अनिवार्य है, जिसमें कम-से-कम 2GB का RAM स्थापित हों। प्रत्येक कम्प्यूटर के हार्ड डिस्क की क्षमता न्यूनतम 1020 GB होना अनिवार्य है।
 - (ii) कार्यस्थल पर कार्य के दौरान 2 KVA क्षमता का Online UPS जिसका बेकअप क्षमता कम-से-कम एक घंटे का हो स्थापित किया जाना होगा।
 - (iii) प्रत्येक विधानसभा के लिए निर्वाचक सूची की तैयारी एवं मुद्रण हेतु कम-से-कम एक Heavy Duty लेजर प्रिंटर स्थापित किया जाना होगा। स्थापित किये जाने वाले प्रिंटर HP का 5000 सीरीज या उपर के श्रेणी का होना चाहिये।
 - (iv) इसके अतिरिक्त रंगीन निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र(PVC Type) के निर्माण हेतु विधानसभावार कम से कम एक अच्छी गुणवत्ता का ब्रांडेड PVC Card Printer उपलब्ध कराना होगा।
 - (v) प्रत्येक विधानसभा के लिए कम से कम तीन Flat ADF HP श्रेणी का स्कैनर स्थापित करना होगा।
 - (vi) प्रत्येक विधानसभा के लिए एक उच्च श्रेणी का लेमिनेशन मशीन स्थापित करना होगा।
 - (vii) चूँकि सम्पादित किये जाने वाले कार्य इन्टरनेट के माध्यम से ERMS के तहत सम्पन्न होगा, अतः स्वयं के खर्च पर ब्रॉड बैंड की सेवा स्थापित करना होगा। यह सेवा कम-से-कम दो इन्टरनेट सेवादाताओं का होना अनिवार्य है।
 - (viii) इच्छुक निविदादाता को कार्य स्थल पर कम-से-कम 10 के0भी0ए0 का दो जेनसेट कार्य के दौरान अवस्थापित करना होगा।
 - (ix) इच्छुक निविदादाता को प्रत्येक विधानसभा के लिए कम-से-कम दो सेट सक्षम कम्प्यूटर ऑपरेटर (कुल 06) की व्यवस्था कार्य सम्पादन के दौरान करना होगा।
 - (x) चयनित फर्म को स्थापित किये जाने वाले सभी कम्प्यूटरों में Window 7 Professional, MS Office 2007 एवं Adobe Reader/writer का Licensed Version स्थापित करना अनिवार्य होगा। इसके अलावे आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित एवं आवश्यकतानुसार स्थापित किये जाने वाले Software की भी अधिष्ठापना करना अनिवार्य होगा जिसके लिए कोई भी अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।
 - (x) इच्छुक निविदादाता को प्रत्येक विधानसभा के लिए Quick Heal Antivirus 2013 प्रयुक्त होने वाले सभी कम्प्यूटरों में स्थापित करना होगा।
3. निविदा के साथ मो0 25,000.00 (पचीस हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट) जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का हो तथा जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पक्ष में देय हो संलग्न करना होगा।
4. इच्छुक निविदादाता के प्रतिष्ठान का वार्षिक टर्नओवर कम-से-कम मो0 1000000.00 (दस लाख) रुपैया का होना आवश्यक है। तत्संबंधी साक्ष्य तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
5. फर्म को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के निर्माण तथा निर्वाचक सूची की तैयारी एवं मुद्रण से संबंधित पूर्व का अनुभव होने पर उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी।

6. फोटोयुक्त निर्वाचक सूची की तैयारी एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपिक) निर्माण का कार्य अन्योन्याश्रित (Interdependent) होने के कारण कार्यहित में दोनों कार्यों के लिए एक ही एजेंसी का चयन किया जा सकता है। बिहार के अनुभवी एजेंसी को प्राथमिकता दी जाएगी।
7. मतदाता फोटो पहचान पत्र का निर्माण PVC सीट पर निर्वाचकों के रंगीन छायाचित्र सहित होगा। इसका आकार 8.6cmx5.4cm, की मोटाई 0.6mm से 0.8mm तथा लेमिनेशन 60 microns overlay का होगा। छायाचित्र का आकार, स्वरूप एवं विशिष्टियों के बारे में विस्तृत जानकारी जिला निर्वाचन शाखा, पूर्णियाँ से प्राप्त की जा सकती है।
8. फर्म को लेजर प्रिंटर से मुद्रण करने में ORIGINAL TONER प्रयोग करना होगा, तथा किसी भी परिस्थिति में REFILLED TONER से कार्य स्वीकार्य नहीं होगा। फोटोयुक्त मतदाता सूची का मुद्रण लेजर प्रिंटर से ही किया जाएगा, तथा छायाप्रति मान्य नहीं होगी।
9. मतदाता फोटो पहचान पत्र का निर्माण एवं फोटोयुक्त निर्वाचक सूची की तैयारी एवं मुद्रण हेतु अलग-अलग फर्म या एक से अधिक फर्म को क्रय समिति द्वारा अनुमोदित न्यूनतम दर पर विधानसभावार कार्य आवंटित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
10. भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार राज्य की इलेक्टरल-रॉल मैनेजमेंट व्यवस्था के ईपिक मॉड्युल के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये सॉफ्टवेयर को छोड़कर वेण्डर को किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से ईपिक निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी।
11. भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार नये एवं डुप्लिकेट (प्रतिस्थानी) दोनों प्रकार के ईपिक की मिनियेचर सीट निर्मित की जायेगी। तदनुसार A4 साईज के कागज पर (दोनों तरफ) लगभग 80-100 मतदाता फोटो पहचान-पत्र के मिनियेचर प्रिंट किये जायेंगे। इन्हें उच्च गुणवत्ता के प्लास्टिक सीट से लेमिनेट किया जायेगा। सभी मिनियेचर सीट दो प्रतियों में मुद्रित की जायेगी। इसके लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।
12. तकनीकी निविदा के साथ समेकित रूप से आवंटित कार्य का SUB CONTRACTING नहीं करने का, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-पटना द्वारा एवं जिला स्तर से दी जानेवाली कार्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने का, जिला मुख्यालय, पूर्णियाँ में रहकर कार्य करने का, निर्वाचक सूची की तैयारी एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र के निर्माणार्थ निर्वाचन विभाग, पटना द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप कार्य करने का, मुद्रण संबंधी कार्यों में ऑरिजनल टोनर का प्रयोग करने का एवं संबंधित फर्म काली सूची में दर्ज नहीं है, का UNDER TAKING देना होगा।

निविदा की अन्य शर्तें

1. अपूर्ण एवं बिना हस्ताक्षर किये हुये वित्तीय निविदा को अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा निर्धारित तिथि/समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
2. चयनित कार्यकारी एजेंसी को कार्यादेश की प्राप्ति से पूर्व एकरारनामा(Agreement) करना होगा। एकरारनामा(Agreement) से पूर्व चयनित एजेंसी को अग्रधन के रूप में प्राक्कलित राशि का 2 प्रतिशत बैंक गारंटी के रूप में जिला निर्वाचन कार्यालय, पूर्णियाँ में जमा करना होगा।
3. चयनित फर्म द्वारा सफलतापूर्वक समयबद्ध ढंग से कार्य निष्पादन के उपरांत भुगतान किये जाने वाले विपत्र पर सरकार द्वारा निर्धारित सीमा में श्रोत पर कर (TAX) की कटौतियाँ कर ली जाएगी।
4. निर्धारित समय सीमा पर कार्य पूर्ण नहीं होने पर प्रतिदिन विलम्ब के लिए 1000.00 (एक हजार रुपये प्रतिदिन) राशि की कटौती की जा सकती है, तथा एक सप्ताह के उपरांत भी कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए जमा की गई जमानत की राशि जब्त कर फर्म को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जा सकती है।
5. फोटोयुक्त मतदाता सूची के निर्माण में मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए SOFTWARE की मदद से INTEGRATION तथा CONSOLIDATION करने पर उसका अलग से चार्ज देय नहीं होगा। उपरोक्त शर्तों के अलावे समय-समय पर निर्वाचन विभाग, पटना या भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।